कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 202/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 27.05.2026

थाना पवई, जनपद आजमगढ़

थाना पवई पुलिस टीम ने चोरी गयी बकरी किया बरामद, 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व ₹6000 नगद बरामद

दिनांक 26.05.2026 को वादी चन्द्रेश पुत्र मनोराम निवासी ग्राम डेहरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 23.05.2026 की रात्रि में अभियुक्तगण 1. अकरम पुत्र मो0 वकील, 2. अरविन्द पुत्र सहादुर निवासीगण ग्राम डेहरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ तथा 3. यार मोहम्मद उर्फ बबुआ पुत्र फौजदार निवासी ग्राम महुआ थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने वादी के घर/करकट से 02 बकरी व 01 बकरा चोरी कर लिया जिसके सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0- 120/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती द्वारा प्रारम्भ की गयी।

दिनांक 26/27.05.2026 की रात्रि में उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय हमराह द्वारा महुआ मोड़ स्थित बिस्कुट फैक्ट्री के सामने से अभियुक्तों 1. यार मोहम्मद उर्फ बबुआ पुत्र फौजदार निवासी ग्राम महुआ थाना पवई जनपद आजमगढ़, 2. अरविन्द पुत्र सहादुर निवासी ग्राम डेहरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ तथा 3. अकरम पुत्र मो0 वकील निवासी ग्राम डेहरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 बकरी बरामद हुई तथा शेष 01 बकरी व 01 बकरा बेचने से प्राप्त ₹6000/- नगद बरामद हुआ।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त यार मोहम्मद उर्फ बबुआ के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ, जिसके आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0- 122/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 120/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 122/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

- 01 बकरी (चोरी गयी)
- ₹6000 नगद
- 01 तमंचा .315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती, का0 अनुराग यादव, का0 विकास यादव, का0 सुरेन्द्र यादव, का0 सुरेश यादव, रि0का0 नितिन मिश्रा, थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

● गैंगेस्टर एक्ट में वांछित ₹50,000/- का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

● थाना गम्भीरपुर पुलिस व एसटीएफ प्रयागराज की संयुक्त कार्यवाही में शातिर चोर गिरोह का सदस्य दबोचा गया

आजमगढ़। जनपद में चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के सक्रिय सदस्य व गैंगेस्टर एक्ट में वांछित ₹50 हजार के इनामिया अभियुक्त को गम्भीरपुर पुलिस और एसटीएफ प्रयागराज की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को बुधवार तड़के बिन्द्रा बाजार स्थित आजमगढ़-वाराणसी नेशनल हाईवे से दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय भेजा जा रहा है।

दिनांक 22.08.2024 को थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पर वादी रामअचल राय पुत्र रामजनक राय निवासी ग्राम सोढरी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 20/21.08.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़कर सोने-चाँदी के आभूषण एवं ₹50,000 नगद चोरी कर लिया गया। इस सम्बन्ध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 408/2024 धारा 305, 331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 02.09.2024 को अरशद जमाल पुत्र रईश अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा घर में घुसकर आभूषण व ₹48,000 नगद चोरी किये जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 428/2024 धारा 305, 331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 02.12.2024 को प्राथमिक विद्यालय प्यारेपुर के रसोईघर से गैस चूल्हा, सिलेंडर एवं अन्य सामान चोरी होने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 547/2024 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 18.12.2024 को थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. अब्दुल वाहिद पुत्र शेर अली निवासी मुस्लिम पट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ तथा 2. रईस उर्फ लम्बू पुत्र इरशाद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गये आभूषण, घरेलू सामान एवं नगदी बरामद की गयी थी। बरामदगी के आधार पर मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
उक्त गिरोह द्वारा आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित रूप से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। अभियुक्तों की जनपदीय स्तर पर सक्रियता को देखते हुए इनके विरुद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 30/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त अब्दुल वाहिद पुत्र शेर अली निवासी ग्राम मुस्लिम पट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ लगातार फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र द्वारा दिनांक 21.05.2026 को ₹50,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना गम्भीरपुर पुलिस टीम तथा एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 27.05.2026 को समय करीब 01:05 बजे आजमगढ़-वाराणसी नेशनल हाईवे स्थित बिन्द्रा बाजार से वांछित/इनामिया अभियुक्त अब्दुल वाहिद पुत्र शेर अली निवासी ग्राम मुस्लिम पट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अब्दुल वाहिद पुत्र शेर अली निवासी ग्राम मुस्लिम पट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 30/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद मल्टीमीडिया रेडमी मोबाइल (सिल्वर कलर)
2. ₹310 नगद

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 30/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 428/2024 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 547/2024 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 408/2024 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 रणेन्द्र कुमार सिंह एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज
3. का0 रमेश यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
4. रि0का0 अन्तेश पाण्डेय थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
5. रि0म0का0 अंजू जायसवाल थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
6. मुख्य आरक्षी संतोष कुमार एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज
7. मुख्य आरक्षी रोहित सिंह एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज
8. मुख्य आरक्षी किशन चन्द्र एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज।

थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

● अपहरण व पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

● थाना महराजगंज पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार

दिनांक 20.05.2026 को वादी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि अभियुक्त पवन पुत्र मुखराज राजभर निवासी तिलई नेवादा थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा वादी की नाबालिग पोती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 104/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम पवन पुत्र मुखराज राजभर निवासी तिलई नेवादा थाना घोसी जनपद मऊ पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 अशोक कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी।
विवेचना के दौरान किशोरी की सकुशल बरामदगी कराकर मेडिकल परीक्षण एवं बयान कराया गया, जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।
दिनांक 26.05.2026 को उ0नि0 अशोक कुमार सिंह मय हमराह का0 संगम कुमार द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त पवन पुत्र मुखराज राजभर निवासी तिलई नेवादा थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष को राजेसुल्तानपुर मोड़ कस्बा महराजगंज से समय करीब 07:20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. पवन पुत्र मुखराज राजभर निवासी तिलई नेवादा थाना घोसी जनपद मऊ, उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 104/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार
2. उ0नि0 अशोक कुमार सिंह का0 संगम कुमार थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक- 27.05.2026

जनपद आजमगढ़

● परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण में एक परिवार का कराया गया सफल समझौता

● काउंसलिंग के माध्यम से पारिवारिक विवाद का कराया गया निस्तारण

आजमगढ़। परिवारों को टूटने से बचाने और आपसी विवादों को सुलह के माध्यम से समाप्त करने की दिशा में संचालित "नई किरण" परियोजना के तहत बुधवार को परिवार परामर्श प्रकोष्ठ में एक परिवार का सफल समझौता कराया गया। काउंसलिंग के बाद दोनों पक्ष आपसी सहमति से साथ रहने को तैयार हो गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 27.05.2026 को थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कुल 01 पत्रावली में दोनों पक्षों को फोन/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मिडिएशन हेतु बुलाया गया, जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित हुए।

मिडिएशन के दौरान अथक प्रयास एवं समझाइश-बुझाइश के उपरान्त 01 प्रकरण में सफल समझौता कराया गया। प्रकरण में आवेदिका द्वारा पति, सास-ससुर एवं जेठानी पर कम दान-दहेज को लेकर मारपीट करने तथा घर से निकाल देने का आरोप लगाया गया था। दोनों पक्षों की अलग-अलग एवं संयुक्त रूप से काउंसलिंग कर समस्या का समाधान कराया गया।

नई किरण प्रोजेक्ट जनपद में बिखरे परिवारों को पुनः एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास है। इस पहल से परिवारों में नई आशा एवं विश्वास का संचार होगा तथा पारिवारिक न्यायालयों में कार्यभार कम करने में भी सहायता मिलेगी।

इस पुनीत कार्य में उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी जितेन्द्र शाह एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह उपस्थित रहे।

कुल समझौते – 01

1. निशा देवी पुत्री स्व0 मुन्नीलाल निवासी ग्राम जाफरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

● इंस्टाग्राम पर तमंचे के साथ फोटो वायरल करने वाला बाल अपचारी पकड़ा गया

● पुलिस ने बाल अपचारी के कब्जे से अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस व मोबाइल बरामद किया

दिनांक 27.05.2026 को उ0नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय प्रभारी चौकी लालगंज मय हमराह का0 कमल चौरसिया व रि0का0 त्रिपुरेश पाठक द्वारा सोशल मीडिया सेल से प्राप्त सूचना के आधार पर इंस्टाग्राम पर तमंचे के साथ वायरल फोटो के संबंध में जांच की जा रही थी। जांच के दौरान एक बाल अपचारी थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ की पहचान कर उसकी तलाश की जा रही थी।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कैथीशंकरपुर हाईवे से एक बाल अपचारी को पकड़ा गया, जो इंस्टाग्राम पर तमंचे के साथ फोटो वायरल कर रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि तमंचा गांव के बाहर स्थित ट्यूबवेल में छिपाकर रखा गया है। बाल अपचारी की निशानदेही पर गांव के बाहर ट्यूबवेल से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

पूछताछ में बाल अपचारी ने बताया कि शेष तीन कारतूस उसने नीलगाय को डराने के लिए फायर कर दिए थे तथा खाली खोखे नदी में फेंक दिए। बरामदगी के आधार पर थाना देवगाँव पर मु0अ0सं0 205/2026 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 205/2026 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अदद तमंचा नाजायज .315 बोर
- एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- एक अदद मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 205/2026 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

- नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया
- थाना अहरौला पुलिस ने पूराकोदई अण्डरपास से बाल अपचारी को लिया अभिरक्षा में

दिनांक 07.04.2026 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि अभियुक्त द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 84/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना उ0नि0 नितेश कुमार चौबे द्वारा की जा रही थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में दिनांक 27.05.2026 को उ0नि0 नितेश कुमार चौबे मय हमराह का0 विनोद कुमार यादव क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर सम्बन्धित मुकदमे से जुड़े एक बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष को पूराकोदई अण्डरपास/फुलवरिया अण्डरपास के पास से समय करीब 07:30 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 84/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम:-

1. उ0नि0 नितेश कुमार चौबे थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
2. का0 विनोद कुमार यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 27.05.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया**।

थाना बरदह में पंजीकृत अपराध जिसमें अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया**।

➡ दिनांक-11.06.2012 को वादी मुकदमा उ0नि0 ज्ञानेश्वर मिश्रा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान **अभियुक्त लालजी उर्फ ललई पुत्र जयराम निवासी लसड़ा खुर्द (देवापुर) थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 25 लीटर अपमिश्रित बरामद होना**।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0-181/2012 धारा-272 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 27.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त लालजी उर्फ ललई पुत्र जयराम निवासी लसड़ा खुर्द (देवापुर) थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 27.05.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (16 दिवस) के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (16 दिवस) के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 26.05.2018 को वादी मुकदमा उ0नि0 कौशल कुमार पाठक थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान **अभियुक्त शमीम उर्फ झीनक पुत्र मुख्तार निवासी पुरादिवान थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 40 लीटर अपमिश्रित बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-136/2018 धारा-272,273, भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 27.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त शमीम उर्फ झीनक पुत्र मुख्तार निवासी पुरादिवान थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (16 दिवस) के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 27.05.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (5 माह 13 दिवस) के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (5 माह 13 दिवस) के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 02.04.2014 को वादी मुकदमा उ0नि0 मन्टू राम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान **अभियुक्त शमीम उर्फ झीनक पुत्र मुख्तार निवासी पुरादिवान थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 20 लीटर अपमिश्रित बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-77/2014 धारा-272,273, भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 4 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 27.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त शमीम उर्फ झीनक पुत्र मुख्तार निवासी पुरादिवान थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (5 माह 13 दिवस) के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

<u>प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 27.05.2026 जनपद आजमगढ़</u>

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना रौनापार में पंजीकृत अपराध जिसमें अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 14.09.2016 को वादी मुकदमा उ0नि0 अजीत कुमार चौहान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान **अभियुक्तगण 1. लालचन्द यादव पुत्र खुनखुन यादव निवासी छपिया जोकरहा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 2. विनोद पुत्र टिल्ठू 3. श्रीबल पटेल पुत्र सुक्खू पटेल निवासीगण सहबदिया सुल्तानपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 60 लीटर अपमिश्रित बरामद होना।**

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0-155/2016 धारा-272,273 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 6 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 27.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 1. लालचन्द यादव पुत्र खुनखुन यादव निवासी छपिया जोकरहा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 2. विनोद पुत्र टिल्ठू 3. श्रीबल पटेल पुत्र सुक्खू पटेल निवासीगण सहबदिया सुल्तानपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**